

राजकीय कन्या महाविद्यालय, नाथद्वारा (राज.)

आंतरिक शिकायत निवारण समिति

-: बैंक विवरण :-

आज दिनांक 19.09.2020 को स्टाफ कक्ष में शायति की बैंक आयोजित की गई, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

- 1) राज पर्यन्त महाविद्यालय में समस्त सदस्यों का आपसी सौहार्द बना रहे, ऐसा वातावरण बनाये रखने हेतु आपसी संवाद अति आवश्यक है।
- 2) महाविद्यालय के किसी भी सदस्य (कार्यरत स्टाफ, छात्रों आदि) को अन्य किसी के व्यवहार से कोई आपत्ति होती है तो तो लिखित शिकायत प्राचार्य जी के माध्यम से प्राप्त की जाए।
- 3) लिखित शिकायत प्राप्त होने पर दोनों ही पक्षों का सहृदयता व संवेदन पूर्वक वस्तुस्थिति का अवलोकन किया जाए, तथा तथ्यों की भलीभांति जांच की जाए, साथ ही आवश्यक होने पर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु प्राचार्य जी को अवगत करवाया जाए।

बैंक में समस्त समिति सदस्य उपस्थित हैं।

धन्यवाद के साथ बैंक संपन्न हुई।

पुण्ड्र
प्रभारी
(आंतरिक शिकायत
निवारण समिति)



19.09.2020.

राजकीय कन्या महाविद्यालय, नालपारा (राज.)

बैंक वृत्त सत्र - 2020-21

दिनांक - 27-11-2020

आज दिनांक 27-11-2020 को 'स्त्री रेगिंग
शिक्षण समिति' की बैंक दोपहर 1.00 बजे
उपाचार्य कक्ष में आयोजित की गई जिसमें
निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1. श्रीमती कटक हरिन - उभारी कटक हरिन
2. श्रीमती कदा विजायनी - सदस्य कदा
3. डॉ. ओ. पी. रुनवाल - सदस्य 
4. डॉ. सागर सांवरिया - सदस्य 

बैंक में महाविद्यालय की समस्त नियमित छात्राओं के हित में विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि रेगिंग करना कानूनन अपराध है, अगर कोई छात्रा रेगिंग करती है तो उसके लिए नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। महाविद्यालय में जगह-जगह पर, नोटिस बोर्ड पर इस संबंध में छात्राओं को चेतावनी देते हुए न्युना चरमा की जा रही है। समिति के सदस्य महाविद्यालय में, नियमित राउन्ड लेकर इसके प्रति सजग रहेंगे। व छात्राओं में जागरूकता पैदा करने का प्रयास करेंगे।

कटक हरिन
श्रीमती कटक हरिन
उभारी
(स्त्री रेगिंग शिक्षण समिति)

राजकीय कन्या प्रहाविद्यालय, नाथद्वारा (राजसमन्द)

बैठक सूत्र-2020-21

दिनांक 20.8.2020

आज दिनांक 20 अगस्त 2020 को सूत्र 2020-21 हेतु 'महिला उत्पीड़न शिकायत समिति' की निमंत्रित बैठक दोपहर 1:00 बजे उपाचार्य कक्ष में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1. सौमरी रितु हिरन - प्रभारती रितु हिरन
2. डॉ. ज्योति सेठी - सदस्य ज्योति
3. डॉ. विनीता लवामिशा - सदस्य Vineta

बैठक में प्रहाविद्यालय की समस्त निमंत्रित छात्राओं के हित में विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि किसी भी छात्रा को महिला उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो उसका उचित निराकरण करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा तथा उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। समिति सदस्य डॉ. ज्योति सेठी ने सुझाव दिया कि प्रहाविद्यालय में संयोजित अन्ध प्रकोष्ठ, क्लब तथा समितियों के कार्यक्रम से समग्र समय पर महिला उत्पीड़न एवं शोषण के शर्त छात्राओं को जागरूक बनाने का प्रयास भी किया जाए। च्यवनवाद के साथ बैठक संपन्न हुई।

रितु हिरन

रितु हिरन

प्रभारती

(महिला उत्पीड़न शिकायत समिति)

राजकीय कन्या अहावखालम, नाथदारा (राजमन्द)

अहिल यौन उत्पीडन रोक्खाम (आंतरिक समन्वय) समिति

बैठक विवरण

आज दिनांक 20 डिसम्बर 2020 को दोपहर 1:30 बजे

स्टाफ लक्ष में अहिल यौन उत्पीडन रोक्खाम (आंतरिक समन्वय) समिति की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1. डॉ. शालिनी आशुर - प्रभारी शालिनी
2. डॉ. ज्योति सेठी - सदस्य ज्योति
3. डॉ. विनीता लक्षानिया - सदस्य Vinita
4. कुशी सीमा साहू - सदस्य Sheema

बैठक में महिला सदस्यों के प्रति यौन उत्पीडन को रूढ़िगर्भ एवं विचारणीय खजलया मानते हुए इस पर संवेदनशीलता पूर्वक कार्यवाही करने पर धर्या की गई। सदस्यों ने परिसर में दात्राओं तथा महिला कर्मचारियों को सुशुद्ध वातावरण प्रदान करने हेतु सुझाव दिए। डॉ. ज्योति सेठी ने कहा कि यदि कोई इस सन्दर्भ में शिकायत आती है तो उसका त्वरित संज्ञान लेकर समाधान करवाया जाए; इस हेतु प्राचार्य के माध्यम से दोनों पक्षों को अलग अलग सुनेते हुए वास्तविकता तब पढुंयने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद के साथ बैठक समपन्न हुई।

शालिनी
[डॉ. शालिनी आशुर]
प्रभारी

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, नाथद्वारा

क्रमांक :- एफ ()स्था/राकमना/2019/1242

दिनांक :- 03.01.2019

श्रीमान आयुक्त महोदय,
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर।

विषय :- कार्यास्थल पर महिला यौन उत्पीडन की रोकथाम हेतु महाविद्यालय स्तर पर गठित आन्तरिक समन्वयक समिति की सूचना बाबत।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक CCE/Adm./ISDC/Training & Workshop/2018/511
Date :- 26-12-2018.

महोदय जी,

उपरोक्त सन्दर्भ पत्र की अनुपालना में महाविद्यालय में महिला यौन उत्पीडन की रोकथाम हेतु महाविद्यालय स्तर पर आन्तरिक समन्वयक समिति गठित की जा चुकी है, समिति सदस्यों की सूची निम्नानुसार है :-

क्र सं.	सदस्य	पदनाम	मोबाईल नम्बर
1	डॉ. शालिनी माथुर	प्रभारी/सहआचार्य (गृहविज्ञान)	9414343459
2	डॉ. ज्योति सेठी	सदस्य/सहआचार्य (संगीत)	9829572671
3	डॉ. विनीता लवानिया	सदस्य/सहआचार्य (समाजशास्त्र)	9414161094
4	सुश्री सीमा साहु	बाह्य सदस्य	9782054239
5	सुश्री निधि पालीवाल	छात्रा प्रतिनिधि	9649220339
6	सुश्री प्रीति पालीवाल	छात्रा प्रतिनिधि	7073893868
7	सुश्री प्रियंका कितावत	छात्रा प्रतिनिधि	9413975898

भवदीय

(Handwritten Signature)

प्राचार्य

राजकीय कन्या महाविद्यालय
नाथद्वारा

दिनांक 03/01/19

कार्यालय प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय नाथद्वारा (राज0)
क्रमांक :- एफ () राकमना /स्था /19/ 1242

दिनांक :- 03.01.2019

कार्यालय आदेश

आयुक्तालय के पत्र क्रमांक CCE/Admn/ISDC/Training & Workshop/ 2018 / 511 Date 26-12-2018 के सन्दर्भ पत्र की अनुपालना में महाविद्यालय में यौन उत्पीडन की रोकथाम एवं छात्राओं की समस्या निवारण सुरक्षा एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने हेतु Girls Mentoring Cell गठित की गई है जिसके सदस्य निम्न है :-

1. डॉ. पुष्पा सुखवाल, सहआचार्य, इतिहास
2. डॉ. पुनिता चोर्डिया, सहआचार्य, गृहविज्ञान
3. सुश्री मीना सिसोदिया, (छात्रा सदस्य) एम.ए. पूर्वार्द्ध हिन्दी
4. सुश्री दिवंकल पुरोहित, (छात्रा सदस्य) बी.ए. तृतीय वर्ष

10/1/2019
प्राचार्य
राजकीय कन्या महाविद्यालय
नाथद्वारा(राज.)

राजकीय कन्या महाविद्यालय नाथद्वारा (राज0)

आयुक्तालय के पत्र क्रमांक CCE/ADMN /IDSC/Trainng and workshop /2018/511 दिनांक 26 दिसम्बर 2018 की अनुपालना में निम्न कार्य समपादित किये गये :-

1. कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीडन की रोकथाम हेतु महाविद्यालय स्तर पर आंतरिक समन्वयक समिति का गठन दिनांक 3-1-2019 को किया गया एवं इसकी सूचना आयुक्तालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कि गयी
2. छात्राओ की समस्या निवारण, सुरक्षा एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने हेतु **GIRLS MENTORING CELL** गठित की गयी।
3. कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीडन की रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यशाला का आयोजन दिनांक 12-1-2019 को किया गया जिसकी मुख्य वक्ता राजसमन्द की जिला एवं सेशन न्यायालय की अधिवक्ता एडवोकेट वर्षा पालीवाल ने विशाखा एक्ट 2013 के तहत यौन उत्पीडन का तात्पर्य विस्तार से समझाते हुए इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक प्रयासों को समझाया।

शालिनी
प्रभारी

[महिला यौन उत्पीडन रोकथाम समिति]